Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to take necessary measures to protect the interests of poor farmers -laid.

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): भारत सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा, स्वतंत्रता, व समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये तीन कृषि कानून बनाये थे । इन कानूनों के बारे में भ्रम फैलाने का काम आंदोलनकारी किसान नेताओं ने किया । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन कानूनों का सच जानने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई ।

कृषि कानूनों का सच कुछ किसानों तक नहीं पहुंच पाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिये खेद प्रकट कर देशवासियों से क्षमा याचना की व तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है । माननीय प्रधानमंत्री जी का यह साहसपूर्ण कदम है । इन कानूनों के निरस्त होने से गरीब किसान पुन: दलालों व बिचौलियों के दुष्चक्र में फंस जायेंगे ।

सरकार से अपेक्षा है कि इन गरीब किसानों की सहायता के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाये जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके ।